अवसर दिये जाने के उपरान्त भी जवाब
पेश नहीं करने से जवाब बन्द किया
जाता है। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार
किया जाकर, प्रार्थी के पक्ष में विरुद्ध
विपक्षीगण के मूल वाद के निस्तारण
तक इस आशय की अस्थायी निषेधाज्ञा
जारी की जाती है कि वाद ग्रस्त भूमि
ग्राम गवार की जमाबंदी सम्वत 2071-74
के खाता संख्या 254 किता 9 रकबा
5-10-10 व खाता संख्या 324
किता-10 रकबा 23-19-00 बीघा
भूमि की मौके व रेकार्ड की यथास्थिति
बनाई रखी जावे। पत्रावली फैसल
शुमार होकर अन्दर से बन्द हो।
व मूल वाद के साथ संलग्न की
जावे। निर्णय खुले न्यायालय में
सुनाया गया।

सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.) कुम्भलगढ
जिला- राजसमन्द